

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर उमरिया जिले में करनपुरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पार्श्व लार्न बिछाने हेतु 0.841 हेक्टेयर (ऑनलार्न आवेदित 0.992 हेक्टेयर) वन भूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, शहडोल को प्रकरण में प्रभावित 290 वृक्षों के एवज में 2900 वृक्ष रोपित किये जाने हेतु राशि प्राप्त किये जाने की शर्त पर उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	---

दिनांक: .01.2020

स्थान: भोपाल

(एच.एस. मोहन्ता)

सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

(एच.एस. मोहन्ता)

सचिव,

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा) मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग